फर्द अहकाम

नाम न्यायालय

बनाम

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	30.3.15	पत्रावली पेश हुई। वकील डाली उ[illegible] पत्रावली वास्ते पेश होने पत्रोत्तर [illegible] V.O.C., माईनिंग डस्ताऐज व तल्बी अभियोगी दिनांक 20.4.15 को पेश हो।
	20-4-15	पत्रावली पेश हुई। वकील अभियोगी उप[illegible] अभियोगी की तल्बी हेतु सम्मन तल्बाना पेश करने बाबत वकील अभियोगी को काफी अवसर दिये जा चुके हैं। अन्तिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते पेश होने माईनिंग सम्बन्धि डाक्यूमेन्ट दिनांक 4-5-15 को पेश हो।
	4-5-15	पत्रावली पेश हुई। अभियोगी व वकील अभियोगी अनुपस्थित। बार-बार आवाज दिलाई गई। आवाज दिलाई जाने के उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं आये। पत्रावली के अवलोकन पर पाया कि मामले में लगातार लम्बे अर्से से वास्ते तल्बी तामीले नियत की जा रही है। अभियोगी को वास्ते तल्बी आवश्यक कार्य से सम्मन तल्बाना पेश करने हेतु काफी अवसर दिये जाने के उपरान्त भी वास्ते तल्बी अभियोगी सम्मन तल्बाना प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इससे जाहिर होता है कि अभियोगी अपने उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही कराने के इच्छुक नहीं हैं। इसलिए उक्त प्रकरण को चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 9 (5) में प्रकरण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्ख से कम है एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। हुक्म लिखाया जाकर [illegible] सुनाया गया।